IJAER/January-February 2018/Volume-6/Issue-4/Article No-3/ 8-11 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

वर्तमान सदी में महिलाओं के विकास में शिक्षा की भूमिका

डॉ० कृष्णपाल
विभागाध्यक्ष
हर्ष विद्या मन्दिर कॉलेज ऑफ एजूकेशन
रायसी, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

सारांश
स्वतन्त्र भारत में संवैधानिक रूप से स्त्री-पुरूष को समानता का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद ४५ के तहत १४ साल तक के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। स्त्रियों को उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया गया एवं अनेक कमीशनों द्वारा स्त्रियों की बेहतरी हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये गये जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, कोठारी कमीशन, नारी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति, स्त्री शिक्षा सार्वजनिक सहयोग समिति, राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण समिति, केन्द्रीय सलाहकार समिति ने भी स्त्री शिक्षा के प्रचार-प्रसार व गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझावों के साथ-साथ स्त्रियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के सुझाव दिये। इन सुझावों के क्रियान्वयन हेतु १९८८ में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारम्भ किया, सरकार ने सन् २००० तक सभी को शिक्षित करने की योजना बनाई जो पूरी नहीं हो सकी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा योजना, नवोदय व केन्द्रीय विद्यालयों में बाहरवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में एक तिहाई लड़कियाँ हों। महिलाओं को साक्षर बनाने के लिये १९८९ में समाख्या योजना प्रारम्भ की गयी। गैर-पारस्परिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के प्रयास किये गये। वर्तमान में १३वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। इस योजना में भी महिलाओं की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार महिलाओं के विकास में शिक्षा की विशेष भूमिका है जो वर्तमान परिस्थितियों से प्रदर्शित होती है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के विकास में शिक्षा की भूमिका एवं सरकारी प्रयासों पर चर्चा की गयी है।

शिक्षा, वर्तमान सदी, महिलाओं की स्थिति

प्रस्तावना-
महिला एवं पुरूष दोनों समाज रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान हैं, इसीलिए महिला के विकास के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। मनुष्य मानसिक शक्ति के विकास हेतु शिक्षा एक अनिवर्य प्रक्रिया है। स्त्री हो या पुरूष किसी को शिक्षा से वंचित रखना उसकी मानसिक क्षमता विकसित होने से रोक देना है। पूर्ण व सुचारू शिक्षा न मिलने से महिला बाहर के दायित्वपूर्ण कार्यों का भार उठाने में असमर्थ होती है। शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान, कौशल, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण हासिल करती है, उससे वह जीवन में मनचाही गुणवत्ता ला सकती हैं। बाहर के दायित्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह और अपने बच्चों का पथप्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से कर सकती है। एक पुरानी कहावत है कि यदि एक पुरूष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यदि परिवार में महिला शिक्षित होती है तो पुरूष उससे प्रभावित होगा ही और स्वाभाविक है कि इससे बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होंगे ही। चूँकि बच्चे किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होते हैं। इसलिये यदि कोई राष्ट्र महिला शिक्षा पर ध्यान देता है तो वह बच्चों के भावी जीवन को सुधार रहा है। वर्तमान सामाजिक ढाँचे में महिलाओं पर भारी बोझ है। वे घर चलाती हैं और नई पीढ़ी तैयार करना उनकी खास जिम्मेदारी है। इसके साथ ही वे प्रायः अन्य कामों में भी हाथ बंटाती हैं। अशिक्षित महिला बेबसी अपने माता पिता, पति और बच्चों पर निर्भर हो जाती है। वह स्वयं अपने जीवन को बोझ समझने लगती है। शिक्षा स्वाभिमान की भावना जगाती है और कार्य क्षेत्र की सीमा का विस्तार करती है। वह काम कर सकती है, व्यवसाय में उल्लेखनीय स्थान बना सकती है और अपनी प्रतिभा से ख्याति प्राप्त कर सकती है। यदि वह घर पर रहना चाहती है तो वह अपने बच्चों का प्रभावशाली ढंग से पथप्रदर्शन कर सकती है और अपने परिवार की विभिन्न प्रकार से सहायता करने में और अधिक सक्षम हो सकती है।

राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 'किसी भी मानव समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, महिलायें राष्ट्र के निर्माण में उतना ही महत्व रखती है जितना उस देश के खनिज पदार्थ, नदियां एवं खेती बाड़ी का है। महिलाओं की शक्ति का समुचित उपयोग करने सम्मानीय स्थान देने पर वे राष्ट्र के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकती हैं। महिलाओं पर सामाजिक प्रथाओं परम्पराओं के प्रतिबन्ध होने के कारण उन्हें समाज का एक विशाल अंग माना जा सकता है। अतः इस वर्ग को सहायता पहुँचाने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वह राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण एवं समुचित भूमिका का

निर्वहन कर सकें। राष्ट्रीय समिति की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिये महिलाओं का विकास आवश्यक है, महिलाओं के विकास के लिये शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही स्त्री पूरे परिवार को स्वर्ग बनाती है। इसी आधार पर महिला शिक्षा को विकास का आधार स्तम्भ माना गया है क्योंकि सुसंस्कृत एवं पूर्ण समाज की संरचना शिक्षित महिलाओं से ही सम्भव है।'

सदियों से भारत में महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता रहा है। समाज में उन्हें दोयम दर्ज की स्थिति प्राप्त रही है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों का वर्चस्व रहा है। पुरूषों के द्वारा ही सभी प्रकार के निर्णय लिये जाते रहे हैं। वैदिक कालीन भारतीय समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति को दर्शाया गया है। लेकिन उस काल में भी विभिन्न शास्त्रों विद्वानों द्वारा महिलाओं की भूमिका एवं उनकी स्थिति को लकर मतभेद नजर आया है। वेदोत्तर कालीन समाज में भी शनैः शनैः महिलाओं की स्थिति पुरूषों के मुकाबले दोयम दर्ज की बनती गयी। मध्यकालीन एवं मुगलकालीन शासन आते-आते उनकी स्थिति दयनीय हो गयी। यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को उनके अधिकार से भी वंचित किया जाने लगा। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों को सती प्रथा जैसी अन्धविश्वास परम्पराओं को दण्डनीय अपराध बनाने के लिये तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से कानून बनवाना पड़ा।

भारत में महिला विकास के क्षेत्र में प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आन्दोलन हुये हैं। ऐसे तीन दौर आये जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गयी तथा उन्हें अपने बारे में निर्णय लेने की स्वतन्त्रता मिली। जिसमें पहला दौर था बौद्ध धर्म के आर्विभाव का, बौद्ध धर्म ने न केवल जाति प्रथा का विरोध किया वरन् स्त्रियों की स्वतन्त्रता का भी सम्मान किया जिसे उनकी सामाजिक स्थिति एवं सम्मान में वृद्धि हुई। भक्तिकाल को दूसरा दौर माना जाता है जब स्त्रियों के बन्धन कुछ कमजोर हुए और उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस बार भी अभिव्यक्ति का माध्यम धर्म ही था पर उनकी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से पीड़ा सामने आ रही थी, वह लौकिक जीवन की ही पीड़ा थी। तीसरी बार स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान लाखों महिलाओं के घर से बाहर आने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अवसर दिया गया। गाँधी जी के आह्वान पर प्रत्येक वर्ग की महिलाओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भागीदारी की, और इस आन्दोलन को व्यापक समृद्धि एवं अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया।

आधुनिक समाज में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने, उन्हें उत्तरदायी बनाने एवं पुरूषों के उत्पीड़न से बचाने के लिये अनेक प्रयास किये गये। स्वतन्त्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में महिलाओं को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया। कालान्तर में संसद द्वारा अनेक विधियों का निर्माण कर महिलाओं की स्थिति को मजबूती प्रदान की गयी इसमें महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों की सेवाओं में उनकी भागीदारी, शहरीकरण, औद्योगीकरण, मीडिया के प्रचार प्रसार से उनकी जागरूकता में वृद्धि हुई है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आया। जिसका मुख्य कारण महिलाओं में साक्षरता का अभाव है। स्कूली शिक्षा हमारी नींव है और जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हम अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पायेंगे। शिक्षा से महिलाओं में आत्म विश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। शिक्षित महिला अपने प्रति हो रहे सामाजिक, आर्थिक, भेदभाव को पहचानकर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती है। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलायें कानून द्वारा दी गयी सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। जब हम चाहते हैं कि महिला राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बने तब उनका शिक्षित होना आवश्यक है।

महिला शिक्षा का मूल्यांकन करने से इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि १९०१ से १९३१ तक महिला साक्षरता स्थिर बनी रही। १९५१ से १९८१ तक महिला साक्षरता ४ से ६ प्रतिशत के मध्य रही। १९८१ से २००१ तक के दशक में महिला साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस वृद्धि का मुख्य कारण विभिन्न योजनायें, समिति, आयोग, औपचारिक शिक्षा, स्वयंसेवी संगठन आदि का लागू होना रहा।

१९४८ में विश्वविद्यालय आयोग ने कहा 'पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य-विधाता' आदर्श वाक्य को स्वीकार करते हुये स्त्री शिक्षा के विकास कार्य को महत्वपूर्ण कार्य बताया।

कोठारी आयोग, १९८६ की नई शिक्षा नीति, १९९० यशपाल कमेटी, १९९५ से २००० में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, पंचायती राज व्यवस्था, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम २००४ के नाम से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किये गये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त उपक्रमों के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बस्ती स्तर पर बालिकाओं के अनुकूल विद्यालय

के रूप में मॉडल विद्यालयों का निर्माण करना, लेखन सामग्री, अभ्यास पुस्तिकाओं और वर्दी जैसी अतिरिक्त सामग्रियों को मुहैया कराना प्रतिवर्ष प्रति बालिका १५० रू० पुरस्कार देने।

प्रहर पाठशाला-

इस व्यवस्था में कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये सांय कालीन दो घण्टे के लिये शिक्षण कार्य किया जाता है। महिला शिक्षण केन्द्र-इसके अन्तर्गत महिला प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को पांचवी कक्षा स्तर तक दक्ष कर महिला शिक्षा कर्मी बनाया जाता है जिससे बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जा सके एवं महिला शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सके। वर्ष २००१ में १३ महिला प्रशिक्षिका थीं।

महिला सहयोगी-

वे बालिका जो छोटे बच्चों को संभालने के कारण विद्यालय से नहीं जुड़ पातीं, महिला सहयोगी द्वारा उन बच्चों को संभालने का कार्य किया जाता है। जिससे शिक्षा से वंचित बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जा सके।

शिक्षा वंचित बालिका शिविर-

वे बालिकायें (६-१४) जो शिक्षा से वंचित हैं। इस शिविर के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयस किया जाता है। महिला टास्क फोर्स- महिला चयन, महिला शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यों तथा संवलन हेतु बोर्ड तथा महिला टास्क फोर्स गठित किया गया।

आँगन पाठशाला-

एक बस्ती में १५ बालिका ऐसी हो जो शिक्षा से वंचित हो उनके लिये आँगन पाठशाला खोली जायं।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना-

इस योजना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययरत कक्षा १ से ८ तक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जायं, जिससे बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित किया जा सके।

सरस्वती योजना-

शिक्षित महिला अपने घर पर स्कूल चला सकती है जिसके लिये ४००० रू० प्रतिवर्ष तीन साल तक दिया जाता है। छात्रवृत्ति व निःशुल्क किताबें दी जाती हैं।

साक्षात्कार पुरस्कार योजना-

१९९१ से २००१ के मध्य किये गये उत्कृष्ट कार्यों एवं महिला क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिये पुरस्कार।

गार्गी पुरस्कार-

राज्य में बालिका की शिक्षा को बढ़ाने के लिये ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को १००० रूपये राशि पुरस्कार देने की योजना।

शिक्षाकर्मी परियोजना-

राज्य के दुर्गम व दूरस्थ स्थानों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु।

लोक जुंबिश परियोजना-

इस योजना के द्वारा बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु महिला समूहों का गठन कर नामांकन वृद्धि का प्रयास किया।

कन्या धन विद्या योजना-

कक्षा १२ उत्तीर्ण करने पर बालिकाओ को ५०ए००० रू० की धनराशि प्रोत्साहन हेतु प्रदान की जायेगी

बालिका समृद्धि योजना-

इस योजना के अन्तर्गत ५०० रू० राशि बालिका के नाम खाते में जमा करायी जाती है व १००० रू० छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाती है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना-

यह योजना जुलाई २००४ में शुरू की गयी। इसका उद्देश्य देश के दुष्कर परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।
इस प्रकार सरकार के द्वारा महिला शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं। जिससे महिला शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ हो सके और एक शिक्षित महिला के द्वारा ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।

भारत में महिलाओं के विकास के क्षेत्र में प्राचीन काल से अब तक अनेक आयोग, समितियाँ, योजनायें गठित की गयी तथा भारत में स्वतन्त्रता के बाद भी स्त्रियों के विकास के लिये अनेक कार्यक्रम तथा योजनायें चलाये गये जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, महिला समाख्या योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा योजना, नवोदय व केन्द्रीय विद्यालयों में लड़कियों के लिये बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रोत्साहन योजना भी चलाई गयी जैसे स्कूल में दोपहर का भोजन देना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक व वर्दी वितरित करना, विद्यालय में अधिक उपस्थिति पर छात्रवृत्ति प्रदान करना आदि। इन योजनाओं का महिलाओं के विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः कह सकते हैं कि सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिये विभिन्न योजना को शुरू किया गया। इन प्रयासों से महिलायें अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुई हैं। सही निर्णय क्षमता का विकास, आर्थिक विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुई है। आज महिलायें पुरूषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। महिलाओं ने पुरानी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है कि ''एक पुरूष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।''

महिला शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव-

- महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिये गैर सरकारी संगठनों को भागीदार बनाया जायं।
- कन्या आश्रम तथा बालिकाओं के लिये आवासी पाठशालाओं में वृद्धि की जाय।
- विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं के लिये शिक्षा व व्यवसाय शिल्प, प्रशिक्षण स्वरोजगार, व्यवसाय मार्गदर्शन जैसे पाठ्यक्रम अपनाकर शिक्षा दी जायं।
- महिलाओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा तथा सतत् शिक्षा का तेजी से क्रियान्वयन किया जायं।
- महिलाओं व बालिकाओं के लिये शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध करने वाली संस्थाओं को दिशा निर्देश देकर उन्हें कार्यान्वित किया जायं।
- महिला समितियों का गठन करके महिला शिक्षा के उन्नयन की जिम्मेदारी दी जायं।
- जो अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन पर से शिक्षा का बोझ पूरी तरह से खत्म किया जायं।
- विकलांग व बेसहारा लड़कियों को अतिरिक्त सुविधायें दी जायं।

निष्कर्ष-

महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सर्वप्रथम उनके बीच शिक्षा का समुचित विकास किया जाना चाहिये। एक शिक्षित नारी ही अपने अधिकारों को समझ सकती है, शक्ति अर्जित कर सकती है तथा इन तीनों शिक्षा, शक्ति एवं अधिकार का प्रभावी सदुपयोग कर पाने में सक्षम बन सकती है। भारत की वर्ष १९५१ की गणना के अनुसार भारत की कुल महिला साक्षरता दर ८ण्८६ए १९६१ में १५ण्३५ए १९७१ में २१ण्९७ तथा १९८१ में २९ण्७६ए १९९१ में ३९ण्२९ए २००१ में ५३ण्६७ तथा २०११ में ६५ण्४६ है। लेकिन अभी भी लगभग ३० प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं। इसको देखते हुये सरकार एवं समाज दोनों के द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। स्कूली शिक्षा के उपरान्त उन्हें रोजगारोन्मुख कुछ व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये जिससे कि अधिकाधिक महिलायें अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्म निर्भर बन सकें। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि आत्मनिर्भरता के अभाव के कारण ही महिलायें प्रताड़ित एवं दयनीय जीवन जीने के लिये बाध्य होती हैं तथा इन सबसे तंग आकर कुछ महिलायें आत्महत्या कर लेती हैं। आत्मनिर्भर महिलायें इस प्रकार का अभिशप्त जीवन जीने के लिये बाध्य नहीं होती तथा पुरूष भी ऐसी कर्मठ महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। सरकार द्वारा महिला शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयत्नों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि सबसे पहले उसे माता-पिता के द्वारा उसे एक सशक्त शिक्षा का माध्यम उपलब्ध कराया जाये। अगर परिवार का सहयोग होगा तो बालिका शिक्षा के क्षेत्र मे अग्रसर रहेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. आप्टे, प्रभा (२०१०) 'भारतीय समाज में नारी', क्लासिक पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर।
2. भटनागर, ए०बी० (२०१६) 'समसामयिक भारत एवं शिक्षा', आर०लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. गौतम, एस० एल० (२००४) 'भारतीय शिक्षा का विकास एवं समसामयिक समस्यायें', आलोक प्रकाशन, लखनऊ, इलाहाबाद।
4. कस्वार, रेखा (२००६) 'स्त्री चिन्तन की चुनौतियाँ', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. कुमार, धर्मेन्द्र (२०१८) 'समसामयिक भारत एवं शिक्षा', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
6. पचौरी, गिरीश (२०१६) 'समकालीन भारत एवं शिक्षा', आर०लाल बुक डिपो, मेरठ।